REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 11 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2022

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभाव का एक अध्ययन

गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन', मुकेश कुमार,
असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश.

सारांश

हमारी कृषि की मानसून पर निर्भरता और मानसून की अनिश्चितता जग जाहिर है जिसके चलते भारत हमेशा आपदाओं की गर्दिश में रहता है, आंकड़े बताते हैं कि भारत, बांग्लादेश के बाद विष्व का दूसरा सर्वाधिक बाढ प्रभावित देश है। देश का 12 प्रतिशत क्षेत्र बाढ प्रभावित है जिसमें से मैदानी एवं डेल्टाई क्षेत्र अक्सर बाढग्रस्त रहते हैं, जहां देश की 20 प्रतिशत आबादी आवासित है, विष्व में बाढ के कारण दूसरी सर्वाधिक मौतें और कृषिगत हानियां भारत में होती हैं, परिवर्तनीयता, अनिश्चितता और लंबे शुष्क अंतराल के चलते देश का करीब 68 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा प्रभावित रहता है और देश की 52 प्रतिशत कृषित भूमि वर्षा पर निर्भर है। कई बार सूखा और बाढ की स्थितियां इतनी विनाशक होती हैं कि किसानों की रीढ तक तोड देती हैं। इसके अलावा अनेक ऐसे बाहरी तत्व होते हैं जो खेती को प्रभावित करते हैं, फसली कीट हमले भी महामारी का रूप लेकर व्यापक फसली क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे में देश के किसानों को कृषि आपदाओं से मुकाबले के विकल्प मुहैया कराना आज की सबसे अहम् आवश्यकता है और इसके लिए कृषि बीमा किसानों को मौसम की अनिश्चितता से बचाने और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का सबसे सशक्त संस्थागत हथियार है। प्रस्तुत शोध पत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है ।

मुख्य शब्दः– कृषि जोखिम, फसल बीमा, प्रीमियम सब्सिडी, बीमा व्यवसाय, अनिवारणीय आपदा, आर्थिक क्षतिपूर्ति।

पीएमएफबीवाई का परिचयः–

13 जनवरी 2016 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) देश में फसली जोखिम के आर्थिक प्रबंधन के विकल्प के रूप में षुरू की गई है। न्यूनतम प्रीमियम दर पर अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसानों द्वारा देय प्रीमियम खाद्य और तिलहन फसलों के लिए रबी में 1.5 प्रतिशत और खरीफ में 2 प्रतिशत तथा वार्षिक बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत रखा गया है तथा शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह योजना क्षेत्र आधारित क्षति आकलन के अलावा खेत आधारित क्षति की प्रासंगिकता को भी स्वीकार करती है। यदि अधिसूचित क्षेत्र पर खडी फसलें प्राकृतिक आग, बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बवंडर, बाढ़, आप्लावन, जलभराव, भूस्खलन, सूखा, कीट हमले, बीमारी आदि अनिवारणीय कारणों से नष्ट होती हैं तो उपज नुकसान के विरुध्द उस पूरे क्षेत्र के बीमित किसान बीमा दावे के हकदार होते हैं। यदि फसल कटाई के बाद खेत में पडी फसल 14 दिनों के अंदर चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा एवं

बेमौसम बारिश से नष्ट हो जाती है या ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन जैसी स्थानीय आपदाओं के चलते फसल नष्ट हो जाती है तो खेत आधारित क्षति का आकलन कर किसान के क्षतिपूर्ति दावों का भुगतान किया जाता है।

पीएमएफबीवाई के उद्देश्यः–

पीएमएफबीवाई के प्रमुख उद्देश्य निम्नप्रकार हैं।

1. अनपेक्षित घटनाक्रम के कारण फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
2. किसानों की आय को सुदृढ़ करना ताकि वे अपने कृषि कार्य को जारी रख सकें।
3. किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि अभ्यास अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
4. कृषि क्षेत्रक में ऐसा ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना जिससे किसानों की उत्पादन जोखिम से संरक्षा के साथ कृषि क्षेत्र से संबंधित खाद्य सुरक्षा, फसल विविधिकरण, प्रगति और प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त हो।

साहित्य की समीक्षाः–

हैदर रिजवी और सौरभ बंसल (2011) ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के प्रभाव का आंकलन किया है, जिसमें उन्होने पाया कि एक तो कृषकों में योजना की जानकारी न होना एक बड़ी समस्या रही है। दूसरा, योजना में कृषकों के विभिन्न समूहों के समावेशन का अभाव रहा है। जबकि फसल बीमा योजना से लाभान्वित कृषकों में अधिकतर साक्षर और गरीबी रेखा से ऊपर के रहे हैं। योजना के तहत बीमित कृषकों में 77 प्रतिशत कृषक 5 एकड़ अथवा इससे अधिक कृषि भूमिधारक किसान थे।

एस एस महाजन (2012) ने 1999–2008 की अवधि यानी 9 वर्षों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) का विश्लेषण किया है। अध्ययन से पता चला कि अन्य राज्यों की तुलना में एनएआईएस के कार्यान्वयन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का दबदबा कायम रहा है। एक समस्या यह है कि बीमा दावों का भुगतान फसल कटाई प्रयोगों के अधीन होने के कारण अधिकांश फसलें एनएआईएस के अंतर्गत कवर नहीं हुई हैं।

अरविन्द जायसवाल (2015) ने इलाहबाद जिले के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का सीमांत कृषकों पर प्रभाव का अध्ययन किया है, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों को फसल बीमा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं है और गैर ऋणी कृषकों का योजना के प्रति कोई रुझान नहीं है, जबकि बीमित कृषकों का रुझान रबी की बजाए खरीफ मौसम की फसलों का बीमा कराने की ओर अधिक रहा है।

अर्चना (2016) ने अपने अध्ययन में 1972 की पहली कृषि बीमा योजना से संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (2010) तक लगभग सभी फसल बीमा योजनाओं का मूल्यांकन किया। उन्होने विभिन्न मानकों जैसे बीमित क्षेत्र, भुगतान किए गए प्रीमियम, लाभान्वित किसानों आदि पर राज्यों के प्रदर्शन की तुलना से अनिश्चित पैटर्न का संकेत दिया। नई मौसम आधारित फसल बीमा योजना की शुरुआत के बाद फसल बीमा में निजी क्षेत्र की वृद्धि महत्वपूर्ण रही है, लेकिन यह अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में है, जिनकी कृषि बीमा व्यवसाय में बहुत कम हिस्सेदारी रही है।

आशीष चौहान और चेतना मारवाड़ी (2020) ने गुजरात में दो मुख्य फसल बीमा योजनाओं एनएआईएस और पीएमएफबीवाई के प्रदर्शन का मूल्यांकन चार मापदंडों जैसे कि बीमित किसान, लाभान्वित किसान, बीमा राशि और भुगतान किए गए दावे के आधार पर किया है, जिसमें उन्होने पाया कि एनएआईएस के तहत, बीमित किसानों को लाभ हुआ। योजना लागू होने के बाद बीमित किसानों में 39.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि पीएमएफबीवाई के तहत लाभान्वित होने वाले किसानों में पहले वर्ष में कमी आई है, उसके बाद खरीफ मौसम में लगभग 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, 2017 के खरीफ सीजन के दौरान प्रति किसान भुगतान किया गया दावा (52.08 प्रतिशत) राष्ट्रीय औसत से कम रहा है।

अध्ययन के उद्देश्यः–

प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि पीएमएफबीवाई किसानों की अनिवारणीय आपदाओं के कारण फसल हानि की आर्थिक क्षतिपूर्ति में किस हद तक सफल रही है। इसलिए हमारे अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नप्रकार हैं।

1) योजना की देशव्यापी पहुँच व विस्तार का अध्ययन करना।
2) कृषि क्षेत्र में योजना के प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना।
3) अधिसूचित आपदाओं से फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को प्राप्त होने वाले बीमा दावों का अध्ययन करना।
4) योजना को क्रियान्वित करने वाली बीमा कंपनियों के लागत लाभ का अध्ययन करना।
5) योजना के प्रभाव और महत्व पर प्रकाश डालना।

अध्ययन की आवश्यकताः–

जनवरी 2016 से संचालित होने के समय से पीएमएफबीवाई भारत सरकार की चुनिंदा फ़्लैगशिप योजनाओं में शामिल रही है और पिछले 6 वर्षों में खरीफ व रबी के 11 मौसमों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो चुकी है। इसके क्रियान्वयन को प्रभावी बनाए रखने के लिए हर 6 माह में राष्ट्रीय स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है और अब तक दो बार इसके प्रावधानों को व्यापक स्तर पर संशोधित किया गया है। इन सबके बावजूद बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे कई राज्यों ने योजना का परिचालन बंद कर दिया है। इसलिए योजना के क्रियान्वयन की 6 वर्षों की समयावधि में कृषि क्षेत्र और किसानों की स्थिति के संदर्भ में योजना के प्रभाव का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि विभिन्न राज्यों पर योजना के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है? जिन उद्देश्यों को लेकर योजना चलाई जा रही है, उनकी प्रतिपूर्ति हो पा रही है अथवा नहीं, विशेषकर आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखने की दिशा में योजना से क्या कोई परिवर्तन आया है ?

शोध प्रविधिः–

यह अध्ययन पूर्णतया द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसकी पूर्णता और व्यापकता के लिए विभिन्न स्तरों पर विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस उद्देश्य के लिए, अतीत व हालिया प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा की गई। अध्ययन विभिन्न राज्यों में पीएमएफबीवाई के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जिसमें बीमित किसानों, लाभान्वित किसानों, भुगतान किए गए दावों और बीमा राशि के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। पीएमएफबीवाई के वर्ष 2016–17 से 2020–21 की अवधि के लिए यानि 6 वर्षों के आंकड़ों को एकत्र किया गया है। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एक नजर में, कृषि गणना 2015–16 और भारत में फसल स्थिति सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों की रिपोर्टों का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात आवृत्ति, प्रतिशत, औसत, सारणी और यथावश्यक चित्रात्मक आधार पर कंप्यूटरीकृत संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण एमएस एक्सेल साफ्टवेयर की मदद से किया गया है।

पीएमएफबीवाई का विस्तार और कवरेज क्षेत्रः–

पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन से पहले वर्ष 2015–16 में देश के सकल फसली क्षेत्र का केवल 23 प्रतिशत क्षेत्र फसल बीमा के अधीन था, जो वर्ष 2016–17 में बढ़ाकर 28.5 प्रतिशत हो गया, लेकिन इस वृद्धि में निरंतरता नहीं रही है। जैसा कि देश के वास्तविक बुवाई क्षेत्र के सापेक्ष मौसम वार बीमित क्षेत्र के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है। खरीफ 2016 में देश का वास्तविक बुवाई क्षेत्र 1072.7 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष बीमित क्षेत्र 372.9 लाख हेक्टेयर था, जो खरीफ के वास्तविक बुवाई क्षेत्र का 34.8 प्रतिशत था। यह खरीफ 2017 में 30.6, 2018 में 29.4, 2019 में 31.4, 2020 में 24.4 और खरीफ 2021 में 21.5 प्रतिशत रहा है।

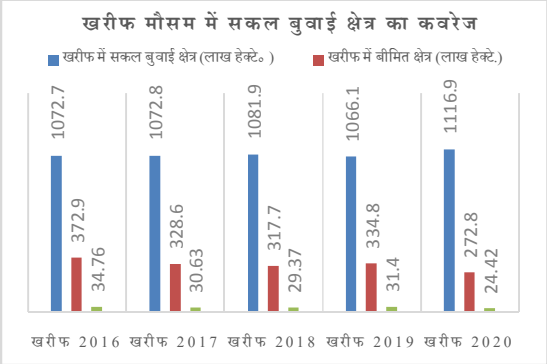

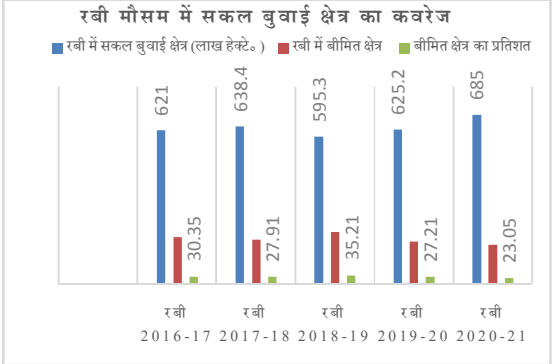

पिछले पाँच वर्ष में रबी मौसम का सामान्य बुवाई क्षेत्र 632.98 लाख हेक्टेयर रहा है, यदि इसे आधार मानें तो सामान्य बुवाई क्षेत्र का पीएमएफबीवाई के तहत रबी 2016–17 में 29.78, 2017–18 में 28.15, 2018–19 में 33.11, 2019–20 में 26.87 और रबी 2020–21 में 24.95 प्रतिशत क्षेत्र बीमित किया जा सका है। जबकि वास्तविक बुवाई क्षेत्र के मामले में स्थिति थोड़ा भिन्न रही है। रबी 2016–17 में देश के कुल वास्तविक बुवाई क्षेत्र 621 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष बीमित क्षेत्र 188.5 लाख हेक्टेयर था, जो रबी के वास्तविक बुवाई क्षेत्र का 30. 4 प्रतिशत था। यह रबी 2017–18 में 27.9, 2018–19 में 35.2, 2019–20 में 27.2 और रबी 2020–21 में 23.1 प्रतिशत रहा है। इस तरह, यदि खरीफ और रबी दोनों के पिछले 11 मौसमों में बीमित क्षेत्र के विचलन पर गौर करें तो बीमित क्षेत्र में कमी अथवा वृद्धि की उल्लेखनीय प्रवृत्ति कायम होती नहीं दिखी है। लेकिन पिछले 4 मौसमों (दो खरीफ और दो रबी) से बीमित क्षेत्र में कमी की ओर संकेत अवश्य मिलता है।

योजना के अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन को देखें, तो पिछले 11 मौसमों में से किसी भी मौसम में योजना का देशव्यापी कार्यान्वयन नहीं हुआ है। देश के 28 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों में से खरीफ 2016 में 21, 2017 में 23, 2018 में 22, 2019 में 20, 2020 में 19 और खरीफ 2021 में 19 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने, जबकि रबी 2016–17 में 25, 2017–18 में 21, 2018–19 में 19, 2019–20 में 18 और रबी 2020–21 में 17 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने पीएमएफबीवाई का कार्यान्वयन किया है, यानी योजना के राज्यवार कार्यान्वयन में उत्तरोत्तर कमी परिलक्षित हुई है। अब यदि देश की कृषि और बागवानी दोनों प्रकार की फसलों के अखिल भारतीय बीमा कवरेज पर गौर करें, तो खरीफ व रबी दोनों मौसमों को मिलाकर वर्ष 2016–17 में 189, 2017–18 में 217, 2018–19 में 208, 2019–20 में 207 और 2020–21 में 185 फसलें बीमाच्छादित हुई थी। इसका मतलब है कि फसलों के बीमाच्छदन में वर्ष 2017–18 में आकस्मिक वृद्धि के साथ बिना किसी विचलन के उत्तरोत्तर कमी परिलक्षित हुई है।

सारणी–1, राज्य वार सकल फ़सली क्षेत्र और बीमित क्षेत्र का विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ क्षेत्र	वर्ष 2015–16 में सकल फसली क्षेत्र (लाख हेक्टे॰)	वर्ष 2016–17 में बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टे॰)	वर्ष 2016–17 में बीमित क्षेत्र का प्रतिशत	वर्ष 2019–20 में बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टे॰)	वर्ष 2019–20 में बीमित क्षेत्र का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	75.32	15.6	20.71	19.9	26.42
2	असम	40.60	0.4	0.99	5.6	13.79
3	बिहार	75.72	24.8	32.75	DNI	DNI
4	छत्तीसगढ	56.40	21.6	38.29	24.3	43.09
5	गुजरात	115.22	30.2	26.21	29.4	25.52
6	हरियाणा	65.10	20.9	32.10	22.5	34.56

7	**हिमाचल प्रदेश**	9.33	1.3	13.93	0.9	9.65
8	**झारखंड**	18.12	3.7	20.42	6.5	35.87
9	**कर्नाटक**	120.09	24.8	20.65	21.7	18.07
10	**केरल**	26.28	0.5	1.90	0.4	1.52
11	**मध्य प्रदेश**	237.14	120.9	50.98	116.6	49.17
12	**महाराष्ट्र**	234.67	71.3	30.38	79.2	33.75
13	**मणिपुर**	4.37	0.1	2.29	0.03	0.69
14	**ओडिशा**	48.03	13.2	27.48	18.5	38.52
15	**पुंदुचेरी**	0.26	0.1	38.46	0.1	38.46
16	**राजस्थान**	250.14	104.8	41.89	96.9	38.74
17	**सिक्किम**	1.37	0.001	0.07	0.00004	0.003
18	**तमिलनाडु**	60.74	12.4	20.41	14.2	23.38
19	**तेलंगाना**	48.93	8.2	16.76	11.3	23.09
20	**त्रिपुरा**	4.86	0.03	0.62	0.1	2.058
21	**उत्तर प्रदेश**	262.03	65.1	24.84	35.6	13.59
22	**उत्तराखंड**	10.83	1.3	12.01	1.1	10.16
23	**पश्चिम बंगाल**	98.81	20.0	20.24	DNI	DNI
	अखिल भारतीय*	**1970.54**	**561.4**	**28.49**	**504.9**	**25.62**

स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

DNI = कार्यान्वयन नहीं किया है।

*चूंकि किसी भी मौसम में योजना का अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन नहीं हुआ है, जबकि कृषि गणना 2015–16 में 36 राज्यों/संघ शाषित क्षेत्रों के सकल फसली क्षेत्र शामिल हैं, इसलिए दोनों अखिल भारतीय स्तर के आंकड़े तुलनीय नहीं हैं।

देश के सकल फसली क्षेत्र के सापेक्ष राज्य वार बीमित क्षेत्र की तुलनात्मक प्रगति के लिए सारणी–1, पर गौर करें तो खरीफ व रबी दोनों मौसमों को मिलाकर वर्ष 2016–17 में योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्यों में सर्वाधिक बीमित क्षेत्र वाले शीर्ष 5 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुंदुचेरी, छत्तीसगढ़ और बिहार थे, जिनके सकल फसली क्षेत्र का क्रमशः 50.9, 41.9, 38.5, 38.3 और 32.8 प्रतिशत क्षेत्र बीमित था, जबकि न्यूनतम बीमित क्षेत्र वाले 5 राज्य क्रमशः सिक्किम, त्रिपुरा, असम, केरल और मणिपुर थे, जिनके सकल फसली क्षेत्र का क्रमशः 0.07, 0.62, 0.99, 1.90 और 2.29 प्रतिशत क्षेत्र ही बीमित था। इसी तरह वर्ष 2019–20 में योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्यों में सर्वाधिक बीमित क्षेत्र वाले शीर्ष 5 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा और पुंदुचेरी रहे हैं, जिनके सकल फसली क्षेत्र का क्रमशः 49.2, 43.1, 38.7, 38.5 और 38.5 प्रतिशत क्षेत्र बीमित था, जबकि न्यूनतम बीमित क्षेत्र वाले 5 राज्य क्रमशः सिक्किम, मणिपुर, केरल, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश रहे हैं, जिनके सकल फसली क्षेत्र का क्रमशः 0.003, 0.69, 1.52, 2.06 और 9.65 प्रतिशत क्षेत्र बीमित था। कुल मिलाकर वर्ष 2016–17 में देश के सकल फसली क्षेत्र का केवल 28.49 प्रतिशत क्षेत्र बीमित था, जो वर्ष 2019–20 में घटकर 25.62 प्रतिशत रह गया था अर्थात बीमित क्षेत्र का विस्तार करने में योजना को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। इसका एक कारण कई राज्यों द्वारा योजना का परिचालन बंद करना भी रहा है। इसके बावजूद, एक तो योजना के लक्षित उद्देश्य के अनुरूप बीमित क्षेत्र की व्यापकता में वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि योजना का लक्ष्य कृषि में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं से परे बीमित क्षेत्र के

देशव्यापी दायरे को बढ़ाकर वर्ष 2018–19 तक 50 प्रतिशत फसली क्षेत्र को कवरेज प्रदान करना था। दूसरा, क्षेत्र विस्तार के मामले में अधिकाधिक राज्यों को आकर्षित करने में भी योजना को सफलता नहीं मिली है।

पीएमएफबीवाई में किसानों का कवरेजः–

योजना के पहले वर्ष 2016–17 में कुल 583.7 लाख किसानों ने बीमा करवाया, जिसमें 447.3 लाख किसान ऋणी और 136.4 लाख किसान गैर ऋणी थे, अर्थात कुल बीमित किसानों में 23.4 प्रतिशत किसान गैर ऋणी थे, लेकिन खरीफ व रबी मौसम के अनुसार बीमित किसानो पर गौर करें तो रबी के सापेक्ष खरीफ मौसम में बीमित किसानों की संख्या हमेशा अधिक रही है। योजना के तहत खरीफ 2016 में 407.7, 2017 में 357.3, 2018 में 345.3, 2019 में 424.2, 2020 में 417.3 और खरीफ 2021 में 463.7 लाख किसान बीमित हुए, जबकि रबी 2016–17 में 176.0, 2017–18 में 175.3, 2018–19 में 232.5, 2019–20 में 190.9 और रबी 2020–21 में 195.9 लाख किसान बीमित हुए थे।

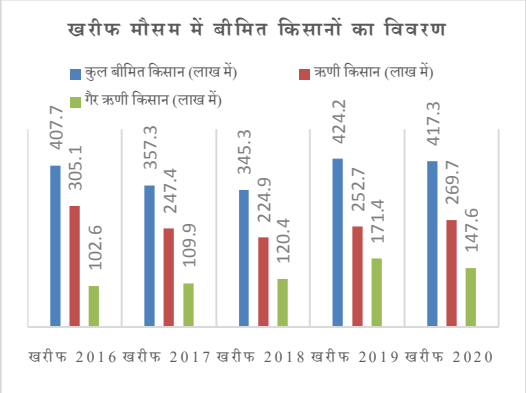

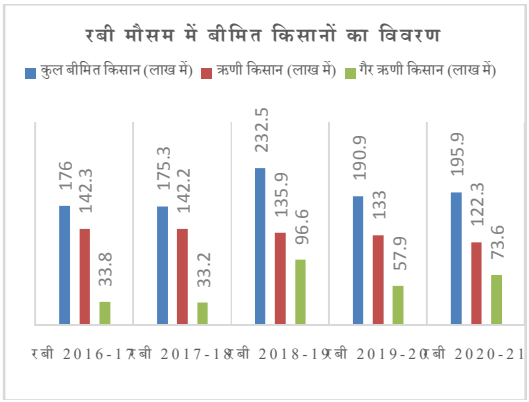

चूंकि योजना के तहत खरीफ 2020 तक ऋणी किसानों का कवरेज अनिवार्य रहा है, इसलिए योजना के प्रभाव व पहुंच की समझ के लिए गैर ऋणी किसानों के कवरेज की प्रवृत्ति को समझना आवश्यक हो जाता है। खरीफ 2016 में कुल 407.7 लाख बीमित किसानों में से ऋणी और गैर ऋणी किसान क्रमशः 305.1 और 102.6 लाख थे, इसका अर्थ है कि कुल बीमित किसानों में 25.2 प्रतिशत किसान गैर ऋणी थे, जो बाद के मौसम खरीफ 2017 में 30.8, 2018 में 34.9, 2019 में 40.4, 2020 में 35.4 और खरीफ 2021 में 25.2 प्रतिशत गैर ऋणी किसान बीमित थे, जबकि रबी 2016–17 में 19.2, 2017–18 में 18.9, 2018–19 में 41.6, 2019–20 में 30.3 और रबी 2020–21 में 37.6 प्रतिशत गैर ऋणी किसानों ने बीमा करवाया था।

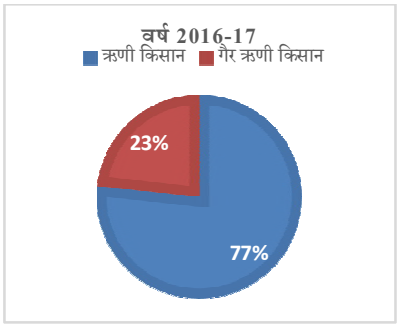

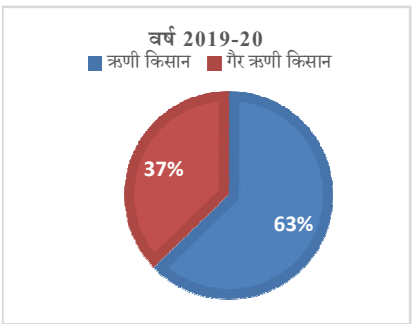

खरीफ के पिछले 6 मौसमों में बीमित किसानों की संख्या में कुछ विचलनों साथ वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, जैसे खरीफ 2019 तक गैर ऋणी किसानों का कवरेज लगातार बढ़ा है, इसके बाद कमी परिलक्षित हुई है। इसी तरह, रबी के पिछले 5 मौसमों में बीमित किसानों की संख्या में कुछ विचलनों के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति रही है

और कमोबेश गैर ऋणी किसानों का कवरेज भी कुछ विचलनों साथ वृद्धिमान रहा है। अब दोनों मौसमों के संयुक्त आंकड़ों पर गौर करें, तो वर्ष 2016–17 में 583.7, 2017–18 में 532.6, 2018–19 में 577.8, 2019–20 में 615.1 और वर्ष 2020–21 में 613.2 लाख किसान बीमित हुए थे, इन संयुक्त आंकड़ों में यदि वर्ष 2017–18 को अपवाद मान लें तो इसके बाद बीमित किसानों की संख्या में बढ़ने की प्रवृत्ति रही है।

योजना के तहत बीमा कवरेज में जनसांख्यिकीय वितरण पर गौर करें, तो खरीफ 2018 से 2021 तक की अवधि में कुल बीमित किसानों में से पुरुषों की भागीदारी 83.7 से 86.2 प्रतिशत तक, जबकि रबी 2017–18 से 2020–21 की अवधि में 82.8 से 85.2 प्रतिशत तक रही है, लेकिन खरीफ के मौसमों में पुरुषों की भागीदारी कुछ विचलनों के साथ वृद्धि का संकेत करती है, तो रबी मौसमों में विचलन के साथ कमी परिलक्षित हो रही है। इसी तरह, महिलाओं की भागीदारी औसतन खरीफ और रबी के मौसमों में क्रमशः 14.8 और 15.9 प्रतिशत रही है, लेकिन इस भागीदारी में खरीफ के मौसमों में एक निश्चित वृद्धि के बाद कमी के संकेत हैं, जबकि रबी के मौसमों में वृद्धि परिलक्षित हो रही है। बीमित किसानों के सामाजिक वर्गीकरण को देखें तो खरीफ के पिछले 4 मौसमों में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति की औसत भागीदारी क्रमशः 37.61, 47.64, 8.08 और 6.68 प्रतिशत जबकि रबी के 4 मौसमों में क्रमशः 42.4, 46.4, 4.2 और 6.96 प्रतिशत रही है और इनकी हिस्सेदारी में मौसम के अनुसार खरीफ व रबी दोनों में विचलन रहा है, जैसाकि सारणी–2 से स्पष्ट है।

सारणी–2 बीमित किसानों का जनसांख्यिकीय वितरण (प्रतिशत में)

जनसांख्यिकीय समूह		खरीफ के मौसम				रबी के मौसम			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
लैंगिक वर्ग	पुरुष	84.93	83.68	85.55	86.15	85.21	84.52	82.82	83.38
	महिला	14.99	16.24	14.37	13.75	14.72	15.38	17.10	16.53
	अन्य	0.08	0.08	0.08	0.10	0.07	0.10	0.08	0.09
सामाजिक वर्ग	सामान्य	45.02	40.07	35.50	29.84	51.94	43.24	41.79	32.79
	अन्य पिछड़ा वर्ग	41.74	45.93	49.15	53.72	37.84	46.15	47.39	54.33
	अनुसूचित जाति	6.54	7.88	8.50	9.41	3.05	4.15	3.96	5.54
	अनुसूचित जनजाति	6.70	6.12	6.85	7.03	7.17	6.46	6.86	7.34
किसान वर्ग	सीमांत किसान	18.08	16.48	16.55	18.05	19.18	18.40	17.39	16.28
	लघु किसान	64.87	67.63	67.69	62.15	63.01	60.86	64.56	66.43
	अन्य किसान	17.05	15.89	15.76	19.80	17.81	20.74	18.05	17.29

अब यदि जोत के आकार के अनुसार वर्गीकरण को देखें तो बीमित किसानों में लघु जोत वाले किसानों की भागीदारी सर्वाधिक रही है, जिनकी हिस्सेदारी खरीफ के मौसमों में औसतन 65.59 जबकि रबी के मौसमों में 63.7 प्रतिशत रही है। इसी तरह, खरीफ के 4 मौसमों में औसतन 17.29 प्रतिशत और रबी के 4 मौसमों में औसतन 17.8 प्रतिशत सीमांत किसान बीमित हुए थे, लेकिन रबी के मौसमों में इनका आनुपातिक कवरेज लगातार घटा है। लघु व सीमांत किसानों को छोड़कर शेष किसानों के बीमित होने का औसत खरीफ के 4 मौसमों में 17.13 प्रतिशत और रबी के 4 मौसमों में 18.5 प्रतिशत रहा है। लेकिन यदि सीमांत किसानों के रबी मौसम के कवरेज को छोंड दें, तो किसी भी वर्ग में सतत वृद्धि या कमी के संकेत नहीं मिलते हैं, जबकि मौसम के अनुसार कमी या वृद्धि में विचलन होता रहा है।

सारणी–3, भूस्वामित्वधारी किसानों के सापेक्ष राज्यवार बीमित किसानों का विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ क्षेत्र	वर्ष 2015–16 में भूस्वामित्वधारी किसान (लाख में)	वर्ष 2016–17 में बीमित किसान (लाख में)	वर्ष 2016–17 में बीमित किसानों का प्रतिशत	वर्ष 2019–20 में बीमित किसान (लाख में)	वर्ष 2019–20 में बीमित किसानों का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	85.24	17.8	20.88	27.9	32.73
2	असम	27.42	0.6	2.19	10.0	36.47
3	छत्तीसगढ	40.11	15.5	38.64	40.2	100.22
4	गुजरात	53.21	19.8	37.21	24.8	46.61
5	हरियाणा	16.28	13.4	82.31	17.1	105.04
6	हिमाचल प्रदेश	9.97	3.8	38.11	2.8	28.08
7	झारखंड	28.03	8.8	31.39	10.9	38.89
8	कर्नाटक	86.81	29.5	33.98	21.3	24.54
9	केरल	75.83	0.8	1.05	0.6	0.79
10	मध्य प्रदेश	100.03	74.6	74.58	80.9	80.88
11	महाराष्ट्र	152.85	118.8	77.72	145.6	95.26
12	मणिपुर	1.50	0.1	6.67	0.03	2.00
13	ओडिशा	48.66	18.2	37.40	48.8	100.29
14	पुंदुचेरी	0.34	0.1	29.41	0.1	29.41
15	राजस्थान	76.55	93.6	122.27	85.3	111.43
16	सिक्किम	0.72	0.01	1.39	0.0002	0.03
17	तमिलनाडु	79.38	14.6	18.39	38.9	49.00
18	तेलंगाना	59.48	9.7	16.31	10.3	17.32
19	त्रिपुरा	5.73	0.1	1.75	0.4	6.98
20	उत्तर प्रदेश	238.22	72.9	30.60	46.9	19.69
21	उत्तराखंड	8.81	2.6	29.51	2.1	23.84
	अखिल भारतीय*	**1464.54**	**583.7**	**39.86**	**615.1**	**42.00**

स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

*चूंकि किसी भी मौसम में योजना का अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन नहीं हुआ है, जबकि कृषि गणना 2015–16 में 36 राज्यों/संघ शाषित क्षेत्रों के भूस्वामित्वधारी किसान शामिल हैं, इसलिए दोनों अखिल भारतीय स्तर के आंकड़े तुलनीय नहीं हैं।

योजना के तहत फसल बीमा लेने वाले किसानों की राज्यवार तुलनात्मक प्रगति के लिए सारणी–3, पर गौर करें, तो खरीफ व रबी दोनों मौसमों को मिलाकर वर्ष 2016–17 में योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्यों में सर्वाधिक बीमित किसानों वाले शीर्ष 5 राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल थे, जिनके क्रमशः 118.8, 93.6, 74.6, 72.9 और 41.3 लाख किसानों ने बीमा करवाया था। अब यदि बीमित किसानों की संख्या का इन राज्यों के कुल किसानों से अनुपात पर गौर करें तो उपर्युक्त राज्यों के कुल किसानों के सापेक्ष क्रमशः 77.7, 122.3, 74.6, 30.6 और 57.0 प्रतिशत किसानों द्वारा बीमा करवाया गया था।

वर्ष 2019–20 में योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्यों में सर्वाधिक बीमित किसानों वाले शीर्ष 5 राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश थे, जिनके क्रमशः 145.6, 85.3, 80.9, 48.8 और 46.9 लाख किसानों ने बीमा करवाया, जो अपने राज्यों के कुल किसानों के सापेक्ष क्रमशः 92.3, 111. 4, 80.9, 100.3 और 19.7 प्रतिशत थे। कई राज्यों में बीमा कराने वाले किसानों का प्रतिशत सौ से अधिक रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ में 100.2, ओडिशा में 100.3, हरियाणा में 105 और राजस्थान में 111.4 प्रतिशत किसानों का बीमा हुआ था, क्योंकि उन्होने दोनों मौसमों में बीमा करवाया था। कुल मिलाकर देश के 1464.54 लाख किसानों में से वर्ष 2016–17 में 583.7 लाख किसानों ने बीमा करवाया, जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर 615.1 लाख हो गए थे, अर्थात वर्ष 2016–17 में देश के कुल किसानों में से 39.9 प्रतिशत किसान बीमित थे, जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर 42 प्रतिशत हो गए, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2016–17 के सापेक्ष वर्ष 2019–20 में बीमित किसानों का प्रतिशत बढ़ा है।

पीएमएफबीवाई से लाभान्वित किसानः–

चूंकि बीमा जोखिम का व्यवसाय है और योजना के तहत बीमा दावों का भुगतान अधिसूचित क्षेत्र, जोखिम स्तर व फसल की हानि पर आधारित है। इसलिए योजना के तहत किसानों का लाभान्वित होना अधिसूचित फसल की उपज में हानि और क्षेत्रीय जोखिम स्तर पर निर्भर करता है। यदि मानसूनी दशाएं फसलों के अनुकूल हैं, तो बीमा दावों का भुगतान कम होगा, जबकि मौसमी दशाएं फसलों के प्रतिकूल होने की स्थिति में दावों का भुगतान अधिक होगा। खरीफ 2016 में योजना के तहत 4 करोड़ 8 लाख बीमित किसानों में से 1 करोड़ 16 लाख किसान लाभान्वित हुए अर्थात बीमित किसानों में से 28.4 प्रतिशत किसान लाभान्वित हुए थे। इसी तरह खरीफ 2017 में 41.2, 2018 में 40.2 और खरीफ 2019 में 44.2 प्रतिशत किसान, जबकि रबी 2016–17 में 23.3, 2017–18 में 17.2, 2018–19 में 36.9 और रबी 2019–20 में 22.3 प्रतिशत किसान लाभान्वित हुए हैं। चूंकि असम और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों द्वारा खरीफ 2020 के दावों को अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया जबकि रबी 2020–21 के दावों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसलिए विश्लेषण में इन मौसमों को शामिल नहीं किया गया है। यदि सकल प्रीमियम के सापेक्ष बीमा दावों पर गौर करें तो खरीफ 2016 में 15887 करोड़ रुपये के सकल प्रीमियम के सापेक्ष 10595 करोड़ रुपये के बीमा दावों का भुगतान किया गया, जो आनुपातिक रूप से सकल प्रीमियम के सापेक्ष 66.7 प्रतिशत था। इसी तरह, खरीफ 2017 में 99.4, 2018 में 95.4 और खरीफ 2019 में 90.7 प्रतिशत जबकि रबी 2016–17 में 106.9, 2017–18 में 63.2, 2018–19 में 114.7 और रबी 2019–20 में 69.9 प्रतिशत बीमा दावों का भुगतान किया गया।

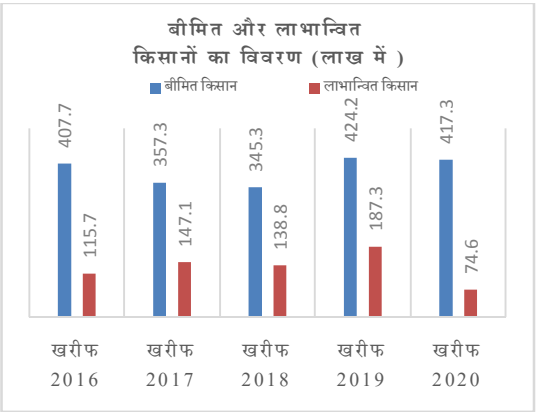

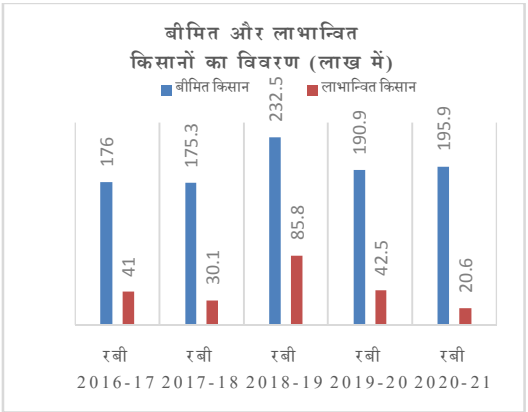

यदि किसानों के लागत लाभ के संदर्भ में योजना का अवलोकन करने के लिए सकल प्रीमियम से सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी को निकाल दें, तो खरीफ 2016 में किसानों द्वारा 2814 करोड़ रुपये प्रीमियम का भुगतान किया गया, जबकि उन्हें बीमा दावों के रूप में 10595 करोड़ रुपये प्राप्त हुए यानी किसान प्रीमियम के सापेक्ष आनुपातिक रूप से 376.5 प्रतिशत दावों का भुगतान किया गया। इसी तरह, खरीफ 2017 में 648.3, 2018 में 618.5 और खरीफ 2019 में 673.1 प्रतिशत जबकि रबी 2016–17 में 488 .8, 2017–18 में 284.

9, 2018–19 में 571.5 और 2019–20 में 382.6 प्रतिशत दावों का भुगतान किया गया। इससे स्पष्ट है कि पिछले 4 खरीफ मौसमों में किसानों द्वारा भुगतान किए गए अपने प्रीमियम की तुलना में 3.7 से 6.7 गुना तक जबकि रबी मौसमों में 2.9 से 5.7 गुना तक बीमा दावे प्राप्त हुए हैं।

बीमित किसानों द्वारा दिए गए प्रीमियम और लाभान्वित किसानों द्वारा प्राप्त बीमा दावों की तुलना करने से पता चलता है कि खरीफ 2016 से 2020 तक बीमित किसानों में औसतन हर किसान द्वारा प्रीमियम के रूप में 735 रुपये भुगतान किया गया, जबकि लाभान्वित किसानों में औसतन हर किसान को 10946 रुपये बीमा क्लेम के रूप में मिला है। इसी तरह रबी 2016–17 से 2020–21 तक बीमित किसानों में प्रति किसान प्रीमियम के रूप में औसतन 711 से 800 रुपये तक भुगतान किया गया जबकि लाभान्वित किसानों में हर किसान को औसतन 10330 से 15151 रुपये तक बीमा क्लेम प्राप्त हुआ है।

सारणी–4, बीमित किसानों के सापेक्ष राज्यवार लाभान्वित किसानों का विवरण

क्रम ांक	राज्य / संघ क्षेत्र	वर्ष 2016–17 में बीमित किसान (लाख में)	वर्ष 2016–17 में लाभान्वित किसान (लाख में)	वर्ष 2016–17 में लाभान्वित किसानों का प्रतिशत	वर्ष 2019–20 में बीमित किसान (लाख में)	वर्ष 2019–20 में लाभान्वित किसान (लाख में)	वर्ष 2019–20 में लाभान्वित किसानों का प्रतिशत
1	आंध्रप्रदेश	17.8	9.0	50.56	27.9	12.7	45.52
2	असम	0.6	0.2	33.33	10.0	--	--
4	छत्तीसगढ	15.5	1.4	9.03	40.2	15.0	37.31
5	गुजरात	19.8	6.8	34.34	24.8	0.9	3.63
6	हरियाणा	13.4	2.2	16.42	17.1	5.6	32.75
7	हिमाचल प्रदेश	3.8	1.1	28.95	2.8	1.7	60.71
8	झारखंड	8.8	0.6	6.82	10.9	--	--
9	कर्नाटक	29.5	19.0	64.41	21.3	7.9	37.09
10	केरल	0.8	0.6	75.00	0.6	0.5	83.33
11	मध्य प्रदेश	74.6	13.8	18.49	80.9	31.2	38.57
12	महाराष्ट्र	118.8	29.3	24.66	145.6	88.1	60.51
13	मणिपुर	0.1	0.1	100.00	0.03	0.03	100.00
14	ओडिशा	18.2	1.7	9.34	48.8	12.2	25.00
15	पुंदुचेरी	0.1	0.04	40.00	0.1	0.1	100.00
16	राजस्थान	93.6	29.0	30.98	85.3	25.6	30.01
17	सिक्किम	0.01	0.002	20.00	0.0002	--	--
18	तमिलनाडु	14.6	12.9	88.36	38.9	17.9	46.02
19	तेलंगाना	9.7	2.3	23.71	10.3	--	--
20	त्रिपुरा	0.1	0.04	40.00	0.4	0.1	25.00
21	उत्तर प्रदेश	72.9	11.9	16.32	46.9	9.3	19.83
22	उत्तराखंड	2.6	0.6	23.08	2.1	1.0	47.62
	अखिल भारतीय	**583.7**	**156.7**	**26.85**	**615.1**	**229.8**	**37.36**

स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

योजना से लाभान्वित होने वाले बीमित किसानों की राज्य वार तुलनात्मक प्रगति के लिए सारणी–4, पर गौर करें तो खरीफ व रबी दोनों मौसमों को मिलाकर वर्ष 2016–17 में योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्यों में सर्वाधिक लाभान्वित किसानों वाले शीर्ष 5 राज्य क्रमशः मणिपुर, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश थे, जिनके क्रमशः 100, 88.4, 75.0, 64.4 और 50.6 प्रतिशत किसान लाभान्वित हुए थे, जबकि न्यूनतम लाभान्वित किसानों वाले 5 राज्य क्रमशः झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश थे, जिनके क्रमशः 6.8, 8.1, 9.0, 9.3 और 16.3 प्रतिशत किसान लाभान्वित हुए थे। इसी तरह वर्ष 2019–20 में योजना को कार्यान्वित करने व आंकड़ों की उपलब्धता वाले राज्यों में सर्वाधिक लाभान्वित किसानों वाले शीर्ष 5 राज्य क्रमशः पुंदुचेरी, मणिपुर, केरल, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र रहे हैं, जिनके क्रमशः 100,100, 83.3, 60.7 और 60.5 प्रतिशत किसान लाभान्वित हुए, जबकि न्यूनतम लाभान्वित किसानों वाले 5 राज्य क्रमशः गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा और राजस्थान रहे हैं, जिनके क्रमशः 3.6, 19.8, 25, 25 और 30 प्रतिशत किसान लाभान्वित हुए हैं । कुल मिलाकर वर्ष 2016–17 में देश के 39.9 प्रतिशत बीमित किसानों में से 26.9 प्रतिशत किसान, जबकि वर्ष 2019–20 में 42 प्रतिशत बीमित किसानों में से 37.4 प्रतिशत किसान लाभान्वित हुए हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2016–17 के सापेक्ष वर्ष 2019–20 में बीमित और लाभान्वित किसानों का प्रतिशत बढ़ा है।

फसल बीमा कंपनियों का लागत लाभ विश्लेषणः–

देश के कृषि क्षेत्र में बढ़ते अनिवारणीय जोखिमों के विरुद्ध किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु फसल बीमा की व्यापकता को बढ़ाना सरकार का प्राथमिक उद्देश्य रहा है, जिसकी देशव्यापी पहुँच चुनिंदा सार्वजनिक बीमा कंपनियों के बल पर संभव नहीं थी, इसलिए योजना के परिचालन में उन निजी सामान्य बीमा कंपनियों को शामिल किया गया, जिनके पास ग्रामीण बीमा व्यवसाय में बुनियादी ढांचे की सुविधा, पर्याप्त अनुभव, व्यावसायिक विशेषज्ञता व पहुँच थी, ताकि देश में फसल बीमा के व्यवसाय को प्रतिस्पर्धी बनाने और गैर ऋणी किसानों का कवरेज बढ़ाने में मदद मिल सके। दूसरी तरफ, बीमा कंपनियां अपने बीमा व्यवसाय के लाभ अथवा वसूले गए प्रीमियम से ही अपने कार्मिक व प्रशासनिक खर्चे, योजना में प्रावधानित व्यय (जैसे प्रचार खर्च, जुर्माना आदि), पुनर्बीमा के लिए प्रीमियम और जोखिम की स्थिति में बीमा दावों के निस्तारण आदि में व्यय करती हैं। इन दोनों पहलुओं के सापेक्ष ही बीमा कंपनियों के लागत लाभ का अध्ययन किया गया है।

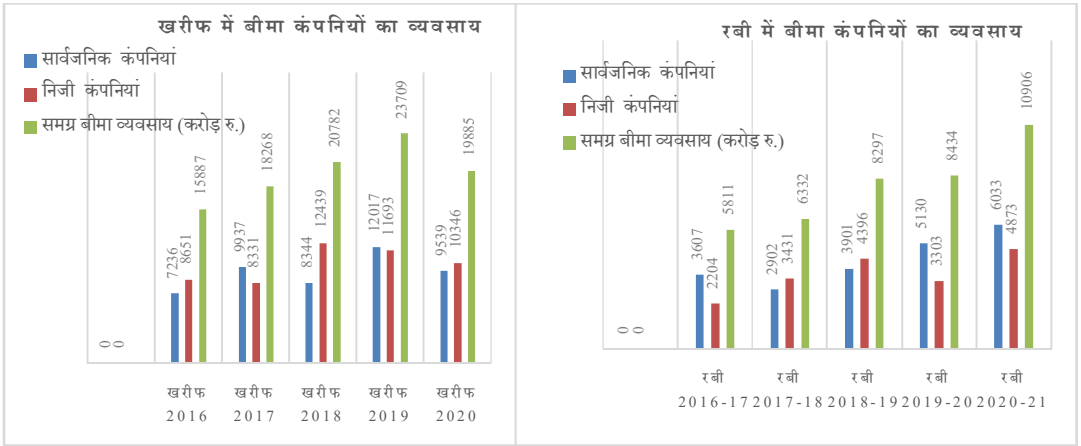

फसल बीमा के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के लिए 5 सार्वजनिक और 13 निजी बीमा कंपनियां फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय हैं और योजना के तहत वर्ष 2016–17 में देश का कुल फसल बीमा व्यवसाय 21698 करोड़ रुपये का था, जिसमें सार्वजनिक और निजी बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी क्रमशः 49.9 और 50.1 प्रतिशत रही है। इसे अधिक स्पष्टता के लिए कुल बीमा व्यवसाय की मौसम के अनुसार हिस्सेदारी को देखें तो सार्वजनिक बीमा कंपनियों के पास कुल बीमा व्यवसाय का खरीफ 2016 में 45.6, 2017

में 54.4, 2018 में 40.2, 2019 में 50.7 और खरीफ 2020 में 47.9 प्रतिशत हिस्सा था। इसका अर्थ है कि खरीफ के 5 मौसमों के बीमा व्यवसाय में 2 खरीफ मौसमों में सार्वजनिक कंपनियों जबकि 3 खरीफ मौसमों में निजी कंपनियों के पास 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रही है और कमोबेश, यही स्थिति रबी के 5 मौसमों में भी रही है। रबी 2016–17, 2019–20 और 2020–21 में सार्वजनिक बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी क्रमशः 62.1, 60.8 और 55.3 प्रतिशत रही है, जबकि रबी 2017–18 और 2018–19 में निजी बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी क्रमशः 54.2 और 52.9 प्रतिशत रही है। इस तरह, मौसमों के अनुसार समग्र बीमा व्यवसाय में सार्वजनिक और निजी बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी में विचलन बताता है कि फसल बीमा व्यवसाय में एकाधिकार जैसी प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती है, बल्कि निजी और सार्वजनिक बीमा कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ा है।

योजना के तहत स्वैच्छिक अथवा गैर ऋणी किसानों के कवरेज में वृद्धि के सापेक्ष निजी और सार्वजनिक बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी पर गौर करें, तो खरीफ 2016 में 102.6 लाख स्वैच्छिक किसानों में से 47.4 और 55.2 लाख किसानों को क्रमशः सार्वजनिक और निजी बीमा कंपनियों द्वारा बीमित किया गया था, यह हिस्सा खरीफ 2020 में बढ़कर क्रमशः 56.9 और 90.7 लाख बीमित किसानों तक पहुंच गया था। इसी तरह, रबी 2016–17 में 33.8 लाख स्वैच्छिक किसानों में से 25.9 और 7.9 लाख किसानों को क्रमशः सार्वजनिक और निजी बीमा कंपनियों द्वारा बीमित किया गया था, यह हिस्सा रबी 2020–21 में बढ़कर क्रमशः 45.1 और 28.5 लाख बीमित किसानों तक पहुंच गया था। कुल मिलाकर बीमा कंपनियों के प्रतिस्पर्धी प्रयासों से स्वैच्छिक किसानों का कवरेज बढ़ा है, यह खरीफ 2016 के 102.6 लाख स्वैच्छिक किसानों से बढ़ाकर खरीफ 2020 में 147.6 लाख किसानों तक पहुंच गया, जबकि रबी 2016–17 के 33.8 लाख स्वैच्छिक किसानों से बढ़कर रबी 2020–21 में 73.6 लाख किसानों तक पहुंच गया था।

योजना के तहत बीमा कंपनियों के लागत लाभ की तुलनात्मक प्रगति पर गौर करें, तो वर्ष 2016–17 में बीमा कंपनियों द्वारा 21698 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में वसूला गया, जिसके सापेक्ष 16808 करोड़ रुपये बीमा दावों के रूप में भुगतान किया गया था। इसका अर्थ है कि बीमा कंपनियों ने अपने वसूले गए प्रीमियम से 77.5 प्रतिशत बीमा दावों के रूप में खर्च किया है। यदि इसमें सार्वजनिक और निजी बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी देखें तो 21698 करोड़ रुपये के सकल प्रीमियम में 10842 करोड़ रुपये सार्वजनिक बीमा कंपनियों द्वारा जबकि 10855 करोड़ रुपये निजी बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम के रूप में वसूला गया है, जिसका क्रमशः 80.4 और 74.5 प्रतिशत बीमा दावों के भुगतान में व्यय किया गया था। इसी तरह, वर्ष 2019–20 में बीमा कंपनियों द्वारा वसूले गए 32143 करोड़ रुपये के सकल प्रीमियम में 17147 करोड़ रुपये सार्वजनिक बीमा कंपनियों द्वारा जबकि 14996 करोड़ रुपये निजी बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम के रूप में वसूला गया, जिसका क्रमशः 106.9 और 60.4 प्रतिशत बीमा दावों के भुगतान में व्यय किया गया। इस तरह, वर्ष 2019–20 में बीमा कंपनियों द्वारा वसूले गए 32143 करोड़ रुपये के सकल प्रीमियम में से 26196 करोड़ रुपये बीमा दावों के भुगतान में खर्च किया, जो सकल प्रीमियम का 85.2 प्रतिशत रहा है। वह भी तब, जब अखिल भारतीय स्तर पर पिछले 5 वर्षों में कोई भी साल कृषि फसलों की दृष्टि से प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों वाला नहीं रहा है और यदि राज्य विशेष की परिस्थितियों में प्रतिकूलता रही भी, तो वहां आनुपातिक दावों के भुगतान में वृद्धि भी परिलक्षित हुई है।

जैसाकि विदित है कि वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक के लगभग सभी वर्ष कृषि के लिए अनुकूल रहे हैं, इसके बावजूद दावा अनुपात वर्ष 2016–17 में 77.5, 2017–18 में 90.1, 2018–19 में 100.9 और 2019–20 में 85.2 प्रतिशत रहा है और वर्ष 2020–21 में दावा अनुपात 90 प्रतिशत अनुमानित है। कुल प्रीमियम के सापेक्ष आपदा प्रभावित राज्यों में दावों का भुगतान 100 प्रतिशत से अधिक रहा है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा कंपनियों के लिए लाभकारी है, किसानों को इस योजना से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि किसी प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ में खरीफ 2017 के दौरान कुल प्रीमियम 289.5 करोड़ रुपए के विरुद्ध कुल 1312.2 करोड़ रुपए का बीमा दावा का भुगतान किया गया। इसी प्रकार कुल प्रीमियम के विरुद्ध कुल बीमा दावों के भुगतान का विवरण सारणी–5 में निम्नप्रकार है।

सारणी–5, आपदा प्रभावित राज्यों में बीमा दावों का भुगतान

मौसम	राज्य/संघ क्षेत्र	सकल प्रीमियम (करोड़ रु.)	भुगतान किए गए दावे (करोड़ रु.)	सकल प्रीमियम के विरुद्ध दावा
खरीफ 2017	छत्तीसगढ़	289.50	1312.20	453.3 %
	हरियाणा	298.55	807.30	270.4 %
	मध्य प्रदेश	3269.70	5561.10	170.1 %
	ओडिशा	801.40	1775.80	221.8 %
	तमिलनाडु	50.30	79.30	157.7 %
रबी 2017–18	आंध्र प्रदेश	146.60	211.70	146.9 %
	छत्तीसगढ	72.40	79.20	109.4 %
	ओडिशा	18.91	42.81	226.3 %
	तमिलनाडु	1223.00	2008.40	164.2 %
खरीफ 2018	आंध्र प्रदेश	797.40	1276.40	160.6 %
	हरियाणा	568.80	804.30	141.4 %
	उत्तराखंड	41.50	47.70	114.7 %
	छत्तीसगढ़	810.90	1026.20	126.5 %
	हिमाचल प्रदेश	3.40	8.30	243.2 %
	झारखंड	386.10	418.80	173.9 %
	तमिलनाडु	65.10	112.30	172.6 %
	कर्नाटक	1386.70	1895.00	136.7 %
रबी 2018–19	आंध्र प्रदेश	296.60	609.30	205.4 %
	कर्नाटक	445.50	1053.00	236.4 %
	ओडिशा	8.50	30.50	360.5 %
	तमिलनाडु	1502.40	2550.50	169.8 %
	तेलंगाना	51.80	77.10	148.9 %
	महाराष्ट्र	1482.20	2005.30	135.5 %
खरीफ 2019	मध्य प्रदेश	2779.10	5767.10	208.6 %
	केरल	39.10	53.00	135.7 %
	महाराष्ट्र	4789.30	5831.00	121.7 %
	उत्तर प्रदेश	669.60	830.80	124.1 %
रबी 2019–20	ओडिशा	10.80	99.80	925.8 %
	छत्तीसगढ़	77.80	649.70	834.8 %
	पुंदुचेरी	4.20	7.20	171.3 %

सरकारों की पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से न्यूनतम प्रीमियम कोट करने के आधार चयन की जाती है और वे निजी या सार्वजनिक कोई भी हो सकती हैं। बीमा दावों का भुगतान केवल राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को प्रदान किए गए उपज आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। उपज आंकड़ों की गणना में बीमा कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती है। बीमा कम्पनियों की उपज आकलन में केवल सहसाक्षी का प्रावधान है।

यह कहना भी उचित नहीं होगा कि पीएमएफबीवाई से केवल निजी बीमा कंपनियां लाभान्वित हो रही है, क्योंकि 5 सार्वजनिक और 13 निजी बीमा कंपनियों में से पहले 2 सालों में सार्वजनिक बीमा कंपनियों का कारोबार 52 प्रतिशत रहा है। इन दोनों वर्षों (2016–17 और 2017–18) के दौरान कुल फसल बीमा व्यापार का 33 प्रतिशत से अधिक हिस्सा केवल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी (एआईसी) आफ इंडिया के पास रहा है।

निष्कर्ष एवं सुझावः–

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि योजना के परिचालन के तीसरे वर्ष 2019 से बीमित क्षेत्र में कमी परिलक्षित हुई है, या कहें कि योजना के लक्षित उद्देश्य के अनुरूप बीमित क्षेत्र की व्यापकता में वृद्धि नहीं हुई और न ही क्षेत्र विस्तार के मामले में अधिकाधिक राज्यों को आकर्षित करने में भी योजना को सफलता मिली है। यद्यपि देश का बीमित क्षेत्र ब्राज़ील से अधिक है, लेकिन यह चीन की तुलना में बहुत कम है। वर्ष 2016 में ब्राज़ील का 64 लाख हेक्टेयर और चीन का 1150 लाख हेक्टेयर फ़सली क्षेत्र बीमित था, जो उनके कुल फ़सली क्षेत्र का क्रमशः 10 और 75 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 2016–17 में भारत का बीमित क्षेत्र 561.4 लाख हेक्टेयर था, जो यह देश के कुल फसली क्षेत्र का केवल 28.5 प्रतिशत था, यह वर्ष 2019–20 में घटकर 25.6 रह गया था। यद्यपि कई राज्यों ने अपने यहां योजना का परिचालन बंद कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद, अखिल भारतीय स्तर पर किसानो के कवरेज में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। योजना के तहत बीमित किसानों के साथ लाभान्वित किसानों का प्रतिशत भी बढ़ा है। वर्ष 2016–17 में देश के बीमित किसानों में से 26.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019–20 में लाभान्वित किसानों का प्रतिशत बढ़कर 37.4 हो गया था। वह भी तब, जब अखिल भारतीय स्तर पर पिछले 5 वर्षों में कोई भी साल कृषि फसलों की दृष्टि से प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों वाला नहीं रहा है और यदि राज्य विशेष की परिस्थितियों में प्रतिकूलता रही भी, तो वहां आनुपातिक दावों के भुगतान में वृद्धि भी परिलक्षित हुई है। जहां तक बीमा कंपनियों के लाभान्वित होने का सवाल है, तो समग्र बीमा व्यवसाय में सार्वजनिक और निजी बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी में विचलन बताता है कि फसल बीमा व्यवसाय में एकाधिकार जैसी प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती है, बल्कि निजी और सार्वजनिक बीमा कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ा है। कुल मिलाकर, बीमा जोखिम का व्यवसाय है और जोखिम हमारी कृषि का एक अंतर्निहित हिस्सा है। इसलिए कृषि क्षेत्र को जोखिम शमन के विकल्प उपलब्ध कराने और किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के विरुध्द आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने में पीएमएफबीवाई एक बेहतर विकल्प है, जिसके क्षेत्र विस्तार और कवरेज की व्यापकता को बढ़ाने के साथ–साथ बीमा कराने में सुगमता और दावा भुगतान प्रणाली को त्वरित बनाने की आवश्यकता है।

संदर्भः–

1. Agriculture Census 2015–16, All India Report on Number and Area of Operational Holdings, 5, 2018, http://agcensus.nic.in/document/agcen1516/T1_ac_2015_16.pdf.
2. https://pmfby.gov.in/stateWiseDataPage
3. https://pmfby.gov.in/adminStatistics/dashboard
4. https://pmfby.gov.in/ceo/dashboard
5. https://agricoop.nic.in/en/all-india-crop-situation
6. http://www.aicofindia.com/ AICEng/General_Documents/Product_Profiles/PMFBY/PMFBY.pdf
7. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, "Report of the Comptroller and Auditor General on Performance Audit of Agriculture Crop Insurance Schemes," 2017
8. Pradhan MantriFasalBimaYojana: An Assessment, Centre for Science and Environment, July 2017, https://www.cseindia.org/pradhan-mantri-fasal-bima-yojana-an-assessment-7778.
9. Agriculture Insurance Company of India Ltd. 2021. Evolution of Crop Insurance. Available online: https://www.aicofindia.com
10. Agriculture Statistics at a Glance. 2019 & 2020. Directorate of Economics and Statistics; Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India
11. https://icrier.org/pdf/Working_Paper_352.pdf - Crop Insurance in India: Key Issues and Way Forward